अरविन्द कुमार जैन
आई0पी0एस0

अ.शा.परिपत्र संख्याः डीजी-15/2015

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1-तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनॉकः मार्च 06, 2015

प्रिय महोदय,

यह मेरे संज्ञान में लाया गया है कि विभिन्न जनपदों एवं इकाइयों में नियुक्त अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्ति के उपरान्त सम्बंधित कार्यालयों एवं मुख्यालयों पर सम्मानपूर्वक विदाई हेतु किसी भी प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा रहा है। आप सहमत होंगे कि पुलिस विभाग में 30-35 वर्षो से अधिक की सेवा के बाद यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी हमसे विदा लेता है तो उसकी सम्मानपूर्वक विदाई जहां एक ओर सम्बंधित कर्मी को विभाग की उसकी सेवाओं के प्रति कृतज्ञता से अवगत कराती है, वही दूसरी ओर सम्बंधित कर्मी को आत्मसंतुष्टि भी प्रदान करने में सहायक होती है ।

2. मै चाहूंगा कि भविष्य में हमारे जो भी अराजपत्रित पुलिस अधिकारी/कर्मचारी सेवानिवृत्त होते है, उनके तैनाती स्थल के मुखिया के स्तर से एक सादगीपूर्ण एवं संक्षिप्त विदाई कार्यक्रम अवश्य आयोजित किया जाय तथा ऐसे कार्यक्रमों में उनके प्रति विभाग में कर्तव्यरत अधिकारी आत्मीयता एवं कृतज्ञता को अवश्य प्रकट करते हुए उन्हें सम्मानपूर्वक विदा करें। इस अवसर पर यह भी आवश्यक है कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मी के सेवाकाल की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उनका जीवनवृत्त पढ़कर एक स्मृति चिन्ह देकर ससम्मान विदाई दी जाय एवं सूक्ष्म जलपान की भी व्यवस्था की जाय। इसी अवसर पर इस बात का उल्लेख भी किया जाय कि सेवानिवृत्त कर्मी के समस्त देयकों के भुगतान के सम्बन्ध में कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है तथा सम्बंधित कर्मी के खाते में देयकों की धनराशि जमा हो गई है ।

3. सेवानिवृत्त कार्मिकों के समस्त देयकों के सेवानिवृत्ति के दिवस तक भुगतान के सम्बन्ध में समय-समय पर शासनादेश एवं विभागीय आदेश भी निर्गत किए गए है, किन्तु प्रायः इनका अनुपालन समय से न हो पाने के कारण सेवानिवृत्त कर्मियों को विभिन्न कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। मै अपेक्षा करता हूं कि सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के देयकों के भुगतान के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही की जाय :-

(1) सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के पेन्शन प्रपत्रों की तैयारी करने एवं सेवानिवृत्ति की तिथि से 06 माह पूर्व पेन्शन प्रपत्र परीक्षण एवं स्वीकृति हेतु पुलिस मुख्यालय को भेजने के सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्याः चार-1738-2007, दिनांक 16.07.2007 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए है, जिसके अनुसार समय से कार्यवाही पूर्ण कराई जाय ।

(2) सेवानिवृत्त होने वाले अराजपत्रित अधिकारी/कर्मचारी के सेवानिवृत्ति की तिथि तक उनके अनुमन्य समस्त देयकों का भुगतान अवश्य कर दिया जाय ।

(3) समस्त जनपदों के प्रभारी पुलिस अधीक्षक द्वारा त्रैमासिक रूप से(प्रत्येक जनवरी अप्रैल, जुलाई एवं अक्टूबर माह में) अपने जनपद में आवासित सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की एक गोष्ठी आयोजित कराई जाय, जिसमें सेवानिवृत्त कार्मिकों से ज्ञात करें कि उस कार्मिक को किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। यदि कोई ऐसी समस्या है, जो पुलिस विभाग स्तर से दूर की जा सकती हो तो उसके निराकरण के यथासम्भव उपाय किए जायं ।

4. उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

भवदीय,

6.3.15

(अरविन्द कुमार जैन)

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश ।